


संख्या 3399/12-01-2015



## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या: 1077 / 2014-15

फाइल संख्या—AZ-4775

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी, ग्राम-खानीकाह, पो0—जीयनपुर, तह0—सगड़ी, जिला—आजमगढ़, उ0प्र0 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या: 653 / 1999—2000, दिनांक 06.01.2000 को दिनांक 05.01.2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000/- रुपये नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 12-01-2015

  
12-01-2015

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।



## उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AB 842282

२०१८-१९ वर्षात् अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश राज के लिए लड़ाया गया था। इसकी विजय का महान् अर्थ यह था कि भारतीय जनता ने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया।



# सत्य-प्रतिलिपि

भारतीय रौर न्यायिक

दस  
रुपये  
₹.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AB 842283

राज्य-प्रमिलि-पि  
राज्य-वेलेपेंड्र सोसाइटी  
नं० A2-4775  
लाल अम्बाला  
राज्य-प्रमिलि-पि



राज्य-प्रमिलि-पि  
राज्य-वेलेपेंड्र सोसाइटी  
आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

## -: संशोधित स्मृति पत्र :-

- १: संस्था का नाम  
 २: संस्था का पता  
 ३: संस्था का कार्यक्षेत्र  
 ४: संस्था के उद्देश्य ।

- : एजूकेशनल एण्ड वेलफेर ट्रस्ट सोसाइटी ।  
 : ग्राम- खानीकाह बहरामपुर पो- जीयनपुर तह- सगड़ी,  
 : जिला- आजमगढ़, उ० प्र०।  
 : समूर्ण उत्तर प्रदेश ।  
 : आधुनिक विधि द्वारा बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना और उसकी पूर्ति हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, कीड़ागांन आदि की व्यवस्था करना ।  
 बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करते हुए उनका सर्वांगीण विकास करना ।  
 जनहित में शिक्षा का प्रचार - प्रसार करना तथा शिक्षण - प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना ।  
 जनकल्याण के सभी प्रकार के कार्य करना तथा बच्चों में राष्ट्रीय भावना पैदा करना ।  
 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व- प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सीधी प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, बन्दिल और मुक्त विद्यालयों, आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

विकल्लोंगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भौजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण करना ।

बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुओं में जुदूसंबंधी शिक्षण करा कर उन्हें तथा बाल श्रमिकों को शिक्षित-प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।  
 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्चेण्ट विद्यालयों, बाल श्रमिक विद्यालयों, आश्रम पञ्चति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालयों, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकल्लोंग विद्यालयों, तकनीकी विद्यालयों, औद्योगिक, प्रौद्योगिक विद्यालयों, सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों किसान विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बाल श्रमिक, दलित, विकल्लोंगों मेघावी, निराश्रित, असहाय तथा मुतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, वीरगति प्राप्त, विकल्लोंग सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।

**सत्य-प्रतिलिपि**

राजायक निबन्धक  
 सीसाइटीज एवं चिदम्ब  
 आजमगढ़ ।

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम, पिता/पति का नाम, पता पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया :-

क्र० सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१: श्री अरविन्द कुमार जायसवाल	श्री सूर्यनरायन प्रसाद	अजमतगढ़, आजमगढ़	अध्यक्ष	कृषि
२: श्रीमती फूला सिंह	श्री आनन्द कुमार सिंह	खानकाह, जीयनपुर, आजमगढ़ प्रबन्धक		गृहिणी
३: श्री अरूण कुमार शर्मा	श्री शिवमूर्ति राय शर्मा काझा खुर्द, मऊ		उपप्रबन्धक प्रथम	कृषि
४: श्री बृजवासी सिंह	स्व० झुलन बिहारी	इसरापार, रामगढ़, आजमगढ़	उपप्रबन्धक द्वितीय	"
५: श्री आनन्द कुमार सिंह	श्री सत्यदेव सिंह	खानकाह, जीयनपुर, आजमगढ़	मंत्री	"
६: श्रीमती अर्चना शर्मा	श्री अनिल कुमार शर्मा	काझा खुर्द, मऊ	उपमंत्री	गृहिणी
७: श्रीमती लीलावती	श्री रामअवध राय		कोषाध्यक्ष	गृहिणी
८: श्री मूलचन्द राम	श्री रामपति राम	खानकाह, जीयनपुर, आजमगढ़ सदस्य		कृषि
९: श्री राणा प्रताप सिंह	श्री इन्द्रजीत सिंह	झड़गाँव, हरखोरी, उत्तराखण्ड, आजमगढ़	"	"
१०: श्री रघुनाथ राय	स्व० विशाल राय	बरमौली, हरैया, आजमगढ़	"	"
११: श्री अनन्त कुमार सिंह	स्व० सत्यदेव सिंह	इशरापार, रामगढ़, आजमगढ़	"	"
१२: श्रीमती निर्मला सिंह	श्री अनन्त कुमार सिंह,,	"	"	गृहिणी


६: हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो०रजि०एक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं।

दिनांक

सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर

R.P.Singh A.K.Singh ५८/८/१९८१

२८/८/१९८१



सत्य-प्रतिलिपि  
राज्यकालीन निवन्धक  
आजमगढ़

## -: संशोधित नियमावली :-

- १: संस्था का नाम : एजूकेशनल एण्ड वेलफेर ट्रस्ट सोसाइटी ।
- २: संस्था का पता : ग्राम- खानीकाह बहरामपुर पो०- जीयनपुर तह०- सगड़ी, जिला- आजमगढ़, उ० प्र०।
- ३: संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
- ४: संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार
- ५: संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

### आजीवन सदस्य

: जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त में कम से कम ३०००/-या उससे अधिक मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से सदस्यता शुल्क खरूप देंगे तथा संस्थाहित में कार्य करेंगे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे ।

### विशिष्ट सदस्य

: जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषीभाव रखने वाले होंगे तथा संस्था को ३००/-रुपया हर पॉचवे साल सदस्यता शुल्क देते रहेंगे संस्था के विशिष्ट सदस्य बने रहेंगे ।

### सामान्य सदस्य

: जो व्यक्ति संस्थाहित में सदैव कार्यरत रहेंगे तथा संस्था को ५९/-रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देते रहेंगे संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेंगे ।

सदस्यता ग्रहण करने की अहर्ता-: वह भारतीय नागरिक हो तथा उसकी उम्र १८ साल या उससे अधिक हो।

### ६: सदस्यता की समाप्ति:

१: मृत्यु होने पर ।

२: पागल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर ।

३: संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

४: त्याग पत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

५: लगातार तीन बैठकों में विज्ञा क्राई जवित सूचना दिये अनुपस्थित होने पर ।

६: किसी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराधिक केस में दोष सिद्ध किये जाने पर ।

७: सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पूरा ।

८: साधारण सभा

९: प्रबन्धकारिणी समिति

### ७: संस्था के अंग

#### ८: साधारण सभा

गठन

बैठक

#### सूचना अवधि

कोरम

नियमावली के नियम ५ के सभी सदस्य मिल कर साधारण सभा का गठन करेंगे । साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर १३ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना ९ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का २/३ होगा, कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

#### विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा जिसकी तिथि कार्यक्रम व समय प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

R. Psingh वृषभनारा नियमिति

A. k. singh गुलनन्द आनन्द कुमार सीती राज्य-प्रतिलिपि

राज्य-प्रतिलिपि राज्य-प्रतिलिपि राज्य-प्रतिलिपि

राज्य-प्रतिलिपि राज्य-प्रतिलिपि राज्य-प्रतिलिपि

### साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

- १: प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना ।
- २: संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देख भाल एवं सुरक्षा करना ।
- ३: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

### ६: प्रबन्धकारिणी समिति:

गठन प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें ०७ पदाधिकारी एवं ०५ सदस्य होंगे कुल संख्या १२ होगी ।

बैठकें प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचनाअवधि प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों/पदाधिकारियों को कम से कम ६ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना २ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

कोरम प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों/पदाधिकारियों का २/३ बहुमत के आधार पर माना जायेगा कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनःउसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति: प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्ति होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेषकाल के लिए साधारणसभा में से नियमानुसार की जायेगी ।

### प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य:

१: संस्थाहित में शाखा संस्थाओं के संचालन हेतु उपसमितियों उपक्रमेटियों का गठन एवं संचालन करना ।

२: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारणसभा से पासकराना ।

३: कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/संरचना तथा नियमितीकरण एवं अन्य कार्यवाही किसी सक्षम पदाधिकारी की लिखित संस्तुति पर करना ।

४: संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना ।

५: स्वयं के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना ।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पाँच साल तक होगा ।

### ९०: प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्य:

अध्यक्ष १: सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।

२: बैठकों को बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना ।

३: बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना ।

४: बैठकों की तिथि, समय व स्थान का निर्धारण करना ।

५: बैठकों में प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान करना ।

आनन्द शुभार किंद  
५८/१११

चात्य-प्रतिलिपि

राहायक निवालक  
फॉर्म नोमाइटीज प्रिंटिंग  
जम्मू

श्रीमती लीलावती देवी

निवाला किंद

- प्रबन्धक**
- १: साधारण सभा की बहुमत की मौग पर कार्यकारिणी भंग करना कार्यकाल बढ़ाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव करना ।
  - २: दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उन्हें क्रियान्वित करना ।
  - ३: वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा क्षमादान का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना ।
  - ४: बैठकों में विधन पहुँचाने वाले दोषी लोगों को बैठक से निष्कासित करना तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना, तथा त्याग पत्र स्वीकार करना ।
  - ५: किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना ।
  - ६: संस्था के धन को संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना ।
  - ७: संस्था के समस्त मूल अभिलेखों/दस्तावेजों का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना ।
  - ८: संस्था के पक्ष में मिलने वाले, क्रण, अनुदान, दान, चन्दा, भूमि, भवन आदि को प्राप्त करना तथा उसकी यथा विधि रसीद देना ।
  - ९: बैठकों की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना ।
  - १०: संस्था की ओर से समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।
  - ११: कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्तति, पदच्युति, वेतनबृद्धि, नियमतीकरण एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रबन्धसमिति को लिखित संस्तुति देना ।
  - १२: संस्था के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना संतुष्ट होने पर दोषमुक्त करना तथा संस्था संस्थाओं की किसी कर्मचारी के जॉच की अवधि तक निलम्बित करना, तथा जॉच की स्थिरता कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना ।
  - १३: सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना और उसकी रसीद देना ।
  - १४: सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना तथा सुदस्य बनाना ।
  - १५: सदस्यता ग्रहण करने वायरल प्रैमियल व्यक्तियों को अपना अंतिम निर्णय देना ।
  - १६: संस्था की चल / अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना ।
- उपप्रबन्धक**
- प्रथम**
  - १: प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग उसके पूर्व निर्देशानुसार करना ।
  - उपप्रबन्धक**
  - १: उपप्रबन्धक प्रथम की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग उसके पूर्व निर्देशानुसार करना ।
  - द्वितीय**
  - १: संस्थाहित में सभी प्रकार का कार्य करना ।
  - २: आपात स्थिति में बैठकों को बुलाना ।
  - ३: आय व्यय के बजट को पास कराने में मदद करना ।
  - ४: बैठकों की तिथि, समय व स्थान की सूचना सदस्यों को देना ।
  - ५: संस्था को मजबूत बनाये रखने हेतु कार्य करना ।
  - ६: संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करना ।
- मंत्री**
- १: मंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना ।
- उपमंत्री**
- १: मंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना ।

श्रीमति लैलाकीर्ति निश्चला कौर  
वृज काठड़ी R.P. Singh

ठारावीद

A. K. Singh

आनन्द कुमार सिंहल-पन्द्र

प्रधानमंत्री कार्यक्रम निव्यक्ति  
कार्यसभा सोसाइटी एवं विद्यालय  
आजमगढ़ ।

- कोषाध्यक्ष
- १: आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना ।
  - २: प्रबन्धक की सहमति पर समस्त बिल बाउचरों का भुगतान करना ।
  - ३: प्रबन्धक की सहमति से समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना ।
  - ४: आय व्यय के लेखा जोखा की रिपोर्ट साधारण सभा में पेश कर पास करवाना ।
  - ५: संस्था की प्रगति का प्रचार प्रसार करना ।
  - ६: समस्त ज्ञापनों -विज्ञापनों का प्रकाशन व भुगतान करना ।

११: संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के २/३ बहुमत के आधार पर किया जायेगा ।

१२: संस्था का कोष: संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

१३: संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण/आडिट :

संस्था के वर्ष भर के आय व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडीटर द्वारा किया जायेगा ।

१४: संस्था के द्वारा अथवा उसके प्रबन्धक कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :  
अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दाखिल होने वाले मुकदमों की प्रियंका प्रबन्धक द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी जो प्रथम बार जनामदाता आजमगढ़ के न्यायालय में ही देखे जा सकेंगे ।

१५: संस्था के अभिलेख १: सदस्यता रजिस्टर

२: कार्यवाही रजिस्टर

३: स्टाक रजिस्टर

४: सूचना रजिस्टर

५: कैश बुक आदि ।

१६: संस्था के विधटन और विधिति सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सो०रजिं०एक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी ।

प्रभागी लीलाकर्णी देवी

अ० नन्द कामरामेंद्र अ० (विन्दू)

पृष्ठा

R.P. Singh

अरुण कुमार

A.K. Singh

पृष्ठा



रात्या

मुख्यमन्त्री

१७: संशोधन

( अतिरिक्त नियमों का समावेश ) निम्नलिखित नियमों का समावेश सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु किया गया है ।



સુધીની

सत्यप्रतिलिपि ७  
१८ वारी  
आनन्द चुमा। सिंह  
आदा चुमार

५०

27 (19-5)

માનુષી

23/11/21

निम्नलिखित

A. K. Singh

R. Singh

A circular blue ink stamp. The top arc contains the text "सहाय-प्रतिलिपि". The bottom arc contains "सहायक समोसाइटी एवं विद्या भवन". In the center, there is handwritten text that appears to be a signature or a date.